



105

BY SPEED POST/FAX

भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान (भा०कृ०अनु०प०)

नबीबाग बैरसिया रोड, भोपाल - 462038

ICAR-Indian Institute of Soil Science

Nabibagh, Berasia Road, Bhopal-462038 (M.P.)

Tel. No. (0755)2747375 EPABX: 2730970/2734221 (Ext. No. 252 & 256) Fax. No. (075) 2733310

Web: www.iiss.nic.in

Date: 28/06/2016

Application No. 105-5/IISS/RTI/2016

To

Mr. Akhilesh Shukla,

H.No. D.K.-2/134,

Danish Kunj, Kolar Road, Bhopal 462042

Sub: Reply to information under RTI Act, 2005- reg.

Sir,

Please find enclosed herewith the information in response to your application received at this end under RTI dated 30/05/2016. Further it is informed that the Appellate Authority is Director, ICAR-IISS, Bhopal and his telephone no. is 0755-2730946.

Yours sincerely

*Alamb* 28/06/16

(R. Elanchezhian)

Principal Scientist & CPIO

Encl: Information containing two pages from A.O.

*re*  
*Al*  
28/6/16



(भा0 कृ0 अनु0 प0) भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान  
नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल - 462038

**ICAR-Indian Institute of Soil Science**

Nabibagh, Berasia Road, Bhopal - 462 038 (M.P.)

Tel No.(0755)2730970/2734221 (Ext. No. 252 & 255) Fax. No. (0755) 2733310

Dated: 27.06.2016

F.No.1-2/2003/C&B/IISS

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी,  
भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान,  
बैरसिया रोड, भोपाल -462 038

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी देने बावत्।


महोदय,

आपके नोट क्र. 105-5/आई आई एस एस/आर टी आई/2016 दिनांक 06.06.2016 के संदर्भ में श्री श्री अखिलेश शुक्ला, म.नं.-डी.के.-2/134, दानिश कुंज, कोलार रोड, भोपाल द्वारा मागी गई जानकारी निम्नानुसार है :

क्र. सं.	प्रश्न	जवाब
1	एल.टी.सी./टी.ए. के तहत हवाई यात्रा के बारे में डी.ओ.पी.टी. के सर्कुलर नम्बर 31011/6/2002-ई.एस.टी.टी.(ए)का आफिस (संस्थान)को कब पता चला ।	यह संस्थान वर्ष 1988 से स्थापित हुआ है, तभी से एल.टी.सी./टी.ए. के तहत हवाई यात्रा के बारे में डी.ओ.पी.टी. के अनेक सर्कुलर जारी किये गये हैं। कृपया वांछित जानकारी के संबन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के प्रत्रांक क्रमोंक के साथ दिनांक का उल्लेख करें ताकि चाही गई जानकारी उपलब्ध कराया जा सके। जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के वेवसाईट <a href="http://www.permins.gov.in">www.permins.gov.in</a> में देखा जा सकता है।
2	डी.ओ.पी.टी. के इस सर्कुलर नम्बर 31011/6/2002-ई.एस.टी.टी.(ए)को कार्यालय (संस्थान) द्वारा पहली वार कर्मचारियों को कब सर्कुलेट किया गया तिथि के साथ ड्राफिटिंग नोट भी संलग्न करें।	चाही गई जानकारी अस्पष्ट है, कृपया वांछित जानकारी के संबन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के प्रत्रांक क्रमोंक के साथ दिनांक का उल्लेख करें ताकि चाही गई जानकारी उपलब्ध कराया जा सके।
3	टी.ए./एल.टी.सी. अग्रिम स्वीकृत पत्र में डी.ओ.पी.टी. सर्कुलर नम्बर 31011/6/2002-ई.एस.टी.टी.(ए) गाईडलाईन के दिशा निर्देशों को कबसे अमल में लाया गया।	चाही गई जानकारी अस्पष्ट है, कृपया वांछित जानकारी के संबन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के प्रत्रांक क्रमोंक के साथ दिनांक का उल्लेख करें ताकि चाही गई जानकारी उपलब्ध कराया जा सके।
4	डी.ओ.पी.टी. परिपत्र सर्कुलर नम्बर 31011/6/2002-ई.एस.टी.टी.(ए)के दिशा निर्देश जारी होने के बाद संस्थान के कितने कर्मचारियों ने इसका पूरी तरह पालन किया तथा कितने कर्मचारियों ने इसे अमल में नहीं लाया (सूची संलग्न करें)	चाही गई जानकारी अस्पष्ट है, कृपया वांछित जानकारी के संबन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के प्रत्रांक क्रमोंक के साथ दिनांक का उल्लेख करें ताकि चाही गई जानकारी उपलब्ध कराया जा सके।

क्र. सं.	प्रश्न	जवाब
5	अमल न करने वाले कितने कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थान् ने क्या कार्यवाही की गई विस्तृत विवरण संलग्न करें ।	चाही गई जानकारी अस्पष्ट है, कृपया वांछित जानकारी के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के प्रत्रांक क्रमोंक के साथ दिनोंक का उल्लेख करें ताकि चाही गई जानकारी उपलब्ध कराया जा संके ।
6	क्या संस्थान् को डी.ओ.पी.टी. परिपत्र के अनुपालन की जानकारी दूसरे संस्थाओं की भी है, यदि हॉ तो उन्होने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ।	इस बारे में संस्थान् को कोई जानकारी नहीं है ।
7	क्या डी.ओ.पी.टी. ने हाल ही में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिये कोई परिपत्र जारी किया है, यदि हॉ तो संस्थान् ने उस पर क्या कार्यवाही की है ।	इस बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय अथवा वेवसाईट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

भवदीय



(आर.के.गिरि)

प्रशासनिक अधिकारी

105  
30/05/16

प्रति,

श्रीमान जनसंपर्क अधिकारी,  
आई.सी.ए.आर-आई.आई.एस.एस  
भोपाल

विषय- आर.टी.आई के तेहत निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने बाबत।  
महोदय,

कृपया निम्ननाकित जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करे :-

1. एल.टी.सी/टी.ए के तहत हवाई याता के बारे में डी.ओ.पी.टी के सर्कुलर नम्बर- 31011/6/2002-ई.एस.टी.टी(ए) का आफिस (संस्थान) को कब पता चला।
2. डी.ओ.पी.टी के इस सर्कुलर नम्बर- 31011/6/2002-ई.एस.टी.टी(ए) को कार्यालय (संस्थान) द्वारा पहली वार कर्मचारियों को कब सर्कुलर किया गया तिथि के साथ ड्राफिटिंग नोट भी संलग्न करें।
3. टी.ए/एल.टी.सी अग्रिम स्वीकृत पत्र में डी.ओ.पी.टी सर्कुलर नम्बर- 31011/6/2002-ई. एस.टी.टी(ए) की गाईडलाईन के दिशा निर्देशो को कबसे अमल में लाया गया।
4. डी.ओ.पी.टी परिपत्र सर्कुलर नम्बर-31011/6/2002-ई.एस.टी.टी(ए) के दिशा निर्देश जारी होने के बाद संस्थान के कितने कर्मचारियों ने इसका पूरी तरह पालन किया तथा कितने कर्मचारियों ने इसे अमल मे नही लाया (सूची संलग्न करे।)
5. अमल न करने वाले कितने कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थान ने क्या कार्यवाही की गई विस्तृत विवरण संलग्न करे।
6. क्या संस्थान को डी.ओ.पी.टी परिपत्र के अनुपालन की जानकारी दूसरे संस्थाओ की भी है यदि हाँ तो उन्होने इस संबंध मे क्या कार्यवाही की।
7. क्या डी.ओ.पी.टी ने हाल ही में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिये कोई परिपत्र जारी किया है यदि हां तो संस्थान ने उस पर क्या कार्यवाही की है।

दिनांक- 26/5/2016

स्थान-भोपाल

भक्तिय  
अखिलेश

अखिलेश शुक्ला

म.न-डी.के-2/134 दानिश कुंज,  
कोलार रोड भोपाल म.प्र 462042

Alame  
26/5/16